

Annexure -4

पत्रांक 10/74-04/05-...../

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक-

विषय:- जीवन ज्योति विद्यालय (अवासीय), डेरा चौक, पैगम्बरपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार को
अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय का संचालन निबंधित "कृत भूदेव शिक्षा सेवा संस्थान" के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यों की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि सदस्यों का आपस में पारिवारिक संबंध नहीं है। सदस्यों का पता देखने से स्पष्ट है कि सभी मुजफ्फरपुर जिले में निवास करते हैं। सभी सदस्यों का पेशा समाज सेवा है। (सूची पताका..... पर देखा जा सकता है)
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में अथवा किसी विद्यालय के brand name का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया है।
3. विद्यालय को 4 एकड़ नौ डिसमील जमीन 33 साल के लीज पर निबंधित है। विद्यालय के द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप भूमि, भवन, कमरों की संख्या, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि होने का दावा किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जाँच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी।
4. विद्यालय में 17 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें 3 प्रशिक्षित हैं। हालांकि आवेदन में शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप बतायी गयी है, जबकि 14 शिक्षकों के अप्रशिक्षित होने से सूचना में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। नियुक्ति के सन्दर्भ में समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न नहीं की गयी है। ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ तरीके से की गयी है।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक किये जाने का दावा किया गया है। विद्यालय को लेखा से संबंधित प्रतिवेदन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ राज्य सरकार को भी भेजनी चाहिए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे सुनिश्चित करा सकेगी।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं। अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे दूरस्थ शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपये प्रतिवर्ष होंगे।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित नापदण्ड के आधार पर संचालित है।
9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्तें सार्वजनिक करनी होंगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा।
10. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्तों के आधार पर जीवन ज्योति विद्यालय (अवासीय), डेरा चौक, पैगम्बरपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - यथोक्त

ह०/-
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापक - 623

प्रतिलिपि - प्राचार्य, जीवन ज्योति विद्यालय (अवासीय), डेरा चौक, पैगम्बरपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक:- 28.9.06

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा